



व्यापम परीक्षा निर्देश

उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 (CGSET-2024) की संभावित तिथियां

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | — | 13.05.2024 (सोमवार) |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | — | 09.06.2024 (रविवार) |
| 3. | ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा | — | 10-06-24 to 12-06-24 |
| 4. | परीक्षा की तिथि (संभावित) | — | 21 जुलाई 2024 (रविवार) |
| 5. | समय | — | पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:15 बजे तक |
| | Paper -I – | — | अपरान्ह 2:00 बजे से 4:15 बजे तक |
| | Paper -II – | — | अस्थिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जशपुर |
| 6. | परीक्षा केन्द्र : | — | |
| 7. | विषय | — | |
| | 1) HINDI | 11) | LIFE SCIENCES |
| | 2) ENGLISH | 12) | COMPUTER SCIENCE &APP. |
| | 3) POLITICAL SCIENCE | 13) | COMMERCE |
| | 4) ECONOMICS | 14) | LAW |
| | 5) SOCIOLOGY | 15) | SANSKRIT |
| | 6) HISTORY | 16) | PSYCHOLOGY |
| | 7) GEOGRAPHY | 17) | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE |
| | 8) PHYSICAL SCIENCES | 18) | PHYSICAL EDUCATION |
| | 9) MATHEMATICAL SCIENCES | 19) | HOME SCIENCE |
| | 10) CHEMICAL SCIENCES | | |

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण—पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण—पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय—सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी नियम को भली—भाँति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्प्ल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM” लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है –

1. ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए **निर्धारित समय–सीमा** के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा।
2. **OMR उत्तरशीट** में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
3. ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि/त्रुटि सुधार कर की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड छ.ग. व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए छ.ग. व्यापम की वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा।

नोट- अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।।

8. परीक्षा पद्धति :-

सेट की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में केवल बहुउत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

| प्रश्न पत्र | अंक | प्रश्नों की संख्या | समयावधि |
|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| I | 100 | 50 प्रश्न – सभी अनिवार्य | 1 Hour (10.00 A.M. to 11.15 A.M.) |
| II | 200 | 100 प्रश्न – सभी अनिवार्य | 2 Hours (2.00 P.M. to 4.15 P.M.) |

Paper I - प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है जिसमें अभ्यर्थियों के पठन-पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आँकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे; जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक निर्धारित होंगे।

Paper II - इस प्रश्न में अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये विषय को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम (पूर्व में निर्धारित प्रश्न पत्र I & II हेतु पाठ्यक्रम, दोनों सम्मिलित) पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है।

9. परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदण्ड –

This will comprise of the following :

"TOP 6% of the appearing candidates who appear in Paper I & Paper II both and secure at least 40% aggregate marks in both the papers taken together for candidates belonging to General Category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories, viz. SC, ST, OBC (belonging to Non Creamy Layer) & PWD and Transgender will be declared qualified for eligibility for Assistant Professor by following the reservation policy of the State Government. It may be noted the above qualifying criteria is final and binding."

10. दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए सहलेखक सम्बंधी निर्देश :-

1. दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी स्वयं द्वारा अथवा परीक्षा आवेदन में मांगे जाने पर व्यापम द्वारा उपलब्ध कराया गया सह-लेखक रख सकेंगे।
2. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या दोनों हाथ उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें स्वयं द्वारा अथवा मांगे जाने पर व्यापम द्वारा सह-लेखक उपलब्ध कराया जाएगा परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
3. स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर की परीक्षा हेतु अधिकतम हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर का तथा हायर सेकेण्डरी स्तर की परीक्षा हेतु अधिकतम दसवीं पास ही सह-लेखक होगा
4. सह-लेखक रखने/मांग करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराया जाने वाला प्रपत्र K107(1/2) भरकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत करना होगा
5. सह-लेखक को परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराया गया प्रपत्र K107(2/2) में भरकर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त प्रपत्र प्रवेश पत्र के साथ भी उपलब्ध होंगे।

11. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे । उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे । प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर दो अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जायेंगे । परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे । ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जायेंगे ।

12. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है । यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा ।) व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्षण में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं । ऑनलाइन दावा—आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रु. 50/- शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन के माध्यम से) करना होगा । निर्धारित शुल्क भुगतान के बिना दावा—आपत्ति मान्य नहीं होगा । यदि किसी प्रश्न के मॉडल उत्तर पर की गई दावा—आपत्ति मान्य होती है एवं उसमें संशोधन होता है तो उस प्रश्न पर दावा—आपत्ति करने वाले सभी दावाकर्ताओं से लिया गया शुल्क व्यापम द्वारा वापस किया जायेगा । यदि दावा—आपत्ति अमान्य होती है तो दावाकर्ताओं से लिया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा । डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा—आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी । दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है । कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें । दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवें ।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे । बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा । प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा । दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा । प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करना होगा । एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा । कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा ।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है । व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा ।

13. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है । विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है ।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. कोई भी विकल्प सही न हो,
3. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
4. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में —

ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा ।

प्रश्नों के निरस्त होने पर दिये जाने वाले अनुपातिक अंक —

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं ।

उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक आबंटित है व प्रश्न पत्र 100 अंकों (पूर्णांक) का है । गलत उत्तर पर अंक नहीं काटा जाना है ।

कुल 100 प्रश्नों में से अगर 02 प्रश्न विलोपित किये जाते हैं । अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 81 प्रश्नों का सही उत्तर व 10 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा 07 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता है । ऐसी अवस्था में उसके कुल अंतिम प्राप्तांक की गणना निम्नानुसार की जावेगी –

अंतरिम प्राप्तांक = सही उत्तरों पर प्राप्त अंक

(विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर प्राप्तांक)

अंतरिम प्राप्तांक = 81

अंतिम प्राप्तांक = अंतरिम प्राप्तांक X पूर्णांक

(विलोपित प्रश्नों पर प्राप्त बोनस अंक सहित प्राप्त अंक) = $\frac{\text{विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों पर आबंटित अंक}}{81 \times 100}$

$\frac{98}{81 \times 100}$

अंतिम प्राप्तांक = 82.653

14. अंकसूची :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परिणाम घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंकसूची व्यापम के वेबसाइट **vyapam.cgstate.gov.in** या **https://vyapamaar.cgstate.gov.in/** से प्राप्त कर सकते हैं ।

15. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है ।

16. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा ।

17. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

| क्र. | जिला का नाम | जिला कोड | महाविद्यालय का नाम | दूरभाष नंबर |
|------|---------------------|----------|--|--------------|
| 1 | सरगुजा (अम्बिकापुर) | 11 | राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर | 07774-230921 |
| 2 | बिलासपुर | 13 | शासकीय ई. राधवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर | 07752-246430 |
| 3 | दंतेवाड़ा | 14 | शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा | 07856-240087 |
| 4 | दुर्ग | 16 | विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग | 0788-2211688 |
| 5 | जगदलपुर (बस्तर) | 17 | शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर | 07782-229340 |
| 6 | जशपुर नगर | 19 | शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर | 07763-223539 |
| 7 | कांकेर | 20 | भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर | 07868-222028 |
| 8 | रायपुर | 25 | शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर | 0771-2263131 |

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर